न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टीए / 1570 / 2006 / करौली

गंगा प्रसाद पुत्र श्योनारायण जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर तहसील व हिला करौली।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– गिर्राज प्रसाद पुत्र नत्थू जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर तहसील व जिला करौली।
2– जगन्नाथ प्रसाद पुत्र नत्थू जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर तहसील व जिला करौली।
3– तहसीलदार, करौली।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री किशोर कुमार, सदस्य
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य

उपस्थित :
श्री जे.के पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी।
प्रत्यर्थीगण असालतन / वकालतन अनुपस्थित।

दिनांकः–02–2–2026

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 तथा केसर की ओर से अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध उपजिला कलेक्टर करौली न्यायालय में वाद पत्र संख्या 2 / 93 बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज का इस आशय का प्रस्तुत

किया कि वाके गांव तलहेटी कंचनपुर तहसील करौली में स्थित खसरा नम्बर 218 रकबा 4 बिस्वा चाह वादी के मामा सुन्दर लाल व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता श्योनारायण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की है। इस भूमि से सुन्दर लाल वादीगण के मामा अपनी आराजीयात की पिलाई करते थे और प्रतिवादीगण के पिता भी इसी भूमि से पिलाई करते थे। सुन्दर लाल की मृत्यु पश्चात वादीगण उनकी भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अन्य विवादित भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 16 बिस्वा सुन्दर लाल के नाम भूमि एलोट होकर खाते में उनका नाम दर्ज हो गया। इस भूमि पर भी वादीगण ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज हैं। अपीलार्थी प्रतिवादी गंगा प्रसाद ने गलत प्रकार से उक्त आराजीयात को अपने नाम अंकन करवा लिया है। अतः वादीगण का वाद डिक्री कर खसरा नम्बर 218 में 1/2 हिस्सा व खसरा नम्बर 184 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

अपीलार्थी गंगा प्रसाद की ओर से दूसरा दावा संख्या 125/93 बाबत इस्तकरारहक व स्थाई निषेधाज्ञा का उपजिला कलेक्टर करौली न्यायालय में विरूद्ध प्रत्यर्थीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम कंचनपुर चमरोला तहसील मासलपुर तहसील करौली में स्थित आराजी खसरा नम्बर 254 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा चाही जिसका गत सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 355 है, जिसकी सिंचाई इसी रकबे से होती है। मौजूदा सेटलमेन्ट में खसरा नम्बर 218 राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया गया है। वर्तमान सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त विवादित भूमि वादी के पिता मुरली पुत्र मुक्कीराम की खातेदारी व कब्जे काश्त में अंकित है। प्रतिवादीगण ने सेटलमेन्ट अधिकारी से मिलीभगत कर विवादित भूमि में अपना नाम खातेदारी में गलत दर्ज करवा लिया। अतः खसरा नम्बर 254 पर अपीलार्थी वादी के हक में खातेदारी घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अपीलार्थी वादी ने एक अन्य वाद संख्या 197/96 भी प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 218 हेतु प्रत्यर्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा गया। वाद संख्या 2/93 पेश होने पर प्रतिवादी गंगा प्रसाद की ओर से इसमें जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी के कथनों को अस्वीकार किया तथा खसरा नम्बर 218 प्रतिवादी की पुश्तैनी खाते की भूमि होकर इस भूमि पर सुन्दर लाल व वादीगण प्रत्यर्थीगण के पिता को कोई हक प्राप्त नहीं होना जाहिर कर यह भी क्लेम किया कि खसरा नम्बर 184 सुन्दर लाल को आवंटित नहीं हुई है बल्कि उक्त आराजी प्रतिवादी के पिता श्योनारायण ने अलोट करवाई थी, तब से प्रतिवादी ही इस भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। अतः वादी का वाद खारिज किया जावे।

विचारण न्यायालय ने तीनों दावों को समेकित करते हुये अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24–6–2003 द्वारा गंगा प्रसाद को आराजी

नम्बर 218, 184 व 254 का खातेदार घोषित किया तथा खसरा नम्बर 184 पर गिर्राज प्रसाद वगैरह को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 24–6–2003 से व्यथित होकर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय में पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 17–12–2005 द्वारा अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 गिर्राज प्रसाद व जगन्नाथ प्रसाद एवं केसर को खसरा नम्बर 218 के 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया एवं अपीलार्थी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील अपीलार्थी द्वारा मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई।

4– अपीलार्थी विद्वान अभिभाषक ने अपील ज्ञापन में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय में तीन दावे प्रस्तुत किये गये थे जिनका अलग–अलग तनकीवार निर्णय पारित किया गया था, किन्तु अपीलीय न्यायालय में उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा एक ही अपील पेश की जबकि तीन निर्णयों के विरूद्ध एक अपील चलने योग्य नहीं है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में तनकियों का विवेचन नहीं किया है और न ही उन्होंने सभी दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए बिना किसी आधार के आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि खसरा नम्बर 218 अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है तथा इस पर अपीलार्थी का इंजन रखा हुआ है तथा उसी से अपीलार्थी अपने खेतों की सिंचाई करता है। इस आराजी से सुन्दर लाल का कोई भी हक एवं अधिकार नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 184 आवंटनशुद्धा है किन्तु खसरा नम्बर 184 का आवंटन सुन्दर लाल या प्रत्यर्थीगण को नहीं किया गया है बल्कि उक्त आराजी अपीलार्थी के पिता श्योनारायण को आवंटित की गई थी जिसके पश्चात अपीलार्थी के पिता व उसके पश्चात अपीलार्थी का कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि बाबत वसीयतनामा होना बताया गया है, जबकि खसरा नम्बर 218 सुन्दर लाल की स्वअर्जित आराजी नहीं थी जिसकी वसीयत करने का हक एवं अधिकार सुन्दर लाल को नहीं था एवं ना ही प्रत्यर्थीगण ने अपने दावे में उक्त वसीयत का सम्पादित होना साबित किया गया है। प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा आवंटन का पट्टा भी पेश नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 254 बाबत सुन्दर लाल के नाम का कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था, फिर भी अपीलीय न्यायालय ने विवादित आदेश पारित कर कानूनी एवं सैद्धान्तिक भूल की है जिससे पारित निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। सुन्दर लाल अपीलार्थी के

परिवार के होकर अपीलार्थी ही उनका वारिस है जिसका उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत द्वारा 28–10–1977 को जारी किया गया था, इसलिए सुन्दर लाल की समस्त भूमि पर अपीलार्थी का ही कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। विचारण न्यायालय में केसर, धूरी एवं कल्याण पक्षकार थे जिन्हें अपीलीय न्यायालय में दायर अपील में पक्षकार नहीं बनाया है, जबकि सभी आवश्यक पक्षकार थे इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की अपील चलने योग्य नहीं थी। पूर्व खसरा नम्बर 355 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा मुरली वल्द सुखी के खाते की थी तथा हाल खसरा नम्बर 254 इसी खसरा नम्बर से बना है तथा अपीलार्थी स्व0 मुरली का वारिस है। इस भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा एवं काश्त बहैसियत वारिस मुरली चला आ रहा है तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा इस भूमि का इन्द्राज जो प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के नाम किया गया है, वह पूर्णतः अवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। सेटलमेन्ट विभाग को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। इन समस्त तथ्यों को अपीलीय न्यायालय द्वारा नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर खसरा नम्बर 218 एवं 184 का अपीलार्थी को खातेदार घोषित किया गया था वह पूर्णतया सही एवं कानून में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार सही था। इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दो अन्य दावों में उसे खसरा नम्बर 254 का खातेदार घोषित कर खसरा नम्बर 218 के लिए प्रत्यर्थीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का आदेश उचित एवं विधिसम्मत है। मातहत अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के इन निर्णयों बाबत कोई विनिश्चय नहीं दिया जाने से अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–12–2005 निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24–06–2003 बहाल रखा जावे। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में 2001 (2) डीएनजे पेज 433, 2010 आरआरडी पेज 123, 2003 एआईआर (एस.सी) पेज 351, 2014 आरबीजे पेज 42, 2020 (1) आरआरटी पेज 452, 2021 (1) आरआरटी पेज 628, 2011 (1) आरआरटी पेज 592 (एससी), 2014–15 आरआरटी पेज 401 (एस.सी) एवं 2001 आरबीजे पेज 42 नजीरें पेश की।

6– अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के निर्णयों के साथ–साथ पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का भी गहनता से अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

7— विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण गिर्राज प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद तथा केसर बेवा गयाजीत द्वारा अपीलार्थी गंगा प्रसाद के विरूद्ध प्रस्तुत वाद संख्या 2/93 में उनके द्वारा खसरा संख्या 184 सम्पूर्ण तथा चाह खसरा नम्बर 218 पर आधे हिस्से की खातेदारी चाही गई है। इस दावे में गंगा प्रसाद द्वारा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर इन दोनों खसरा नम्बरों हेतु उसे खातेदार घोषित करने की मांग की गई। गंगा प्रसाद द्वारा प्रत्यर्थीगणों के विरूद्ध विचारण न्यायालय में दो अन्य दावे भी प्रस्तुत किये गये जिसमें वाद संख्या 125/93 में खसरा नम्बर 254 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा के लिए स्वयं को खातेदार घोषित कर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने तथा तीसरे दावे संख्या 197/96 में खसरा नम्बर 218 चाह रकबा 4 बिस्वा के लिए प्रत्यर्थीगण गिर्राज प्रसाद व जगन्नाथ प्रसाद को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा गया। विचारण न्यायालय ने तीनों दावों को समेकित कर बाद विवाद्यक कायम कर साक्ष्य लेते हुये निर्णय दिनांक 24—6—2003 द्वारा दावा संख्या 2/93 में प्रत्यर्थीगण वादीगण का दावा अस्वीकार कर अपीलार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर लिया। इसी प्रकार इसी निर्णय में दोनों अन्य दावे भी निस्तारित करते हुये अपीलार्थी वादी के अनुतोष को स्वीकार कर इन दावों को बहक गंगा प्रसाद डिक्री कर दिया गया।

8— उक्त निर्णय दिनांक 24—6—2003 के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण गिर्राज प्रसाद व जगन्नाथ प्रसाद द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में तीनों विवादित आराजियात बाबत अपना पक्ष उल्लेखित कर चुनौती दी गई है, लेकिन मातहत अपीलीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 17—12—2005 के गहन अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय में खसरा नम्बर 218 पर ही अपना विश्लेषण केन्द्रित रखते हुये इसी भूमि बाबत अपीलार्थी का आधा हिस्सा हजफ कर आधे हिस्से के लिए वादीगण को खातेदार घोषित कर अपीलार्थी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कर इसी अनुसार विचारण न्यायालय का आदेश अपास्त किया गया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय के बनिस्पत न तो सभी विवाद्यक बिंदुओं पर अपना विवेचन दिया गया है और न ही विश्लेषण में अन्य दोनों विवादित आराजीयात तथा इन बाबत विचारण न्यायालय के विवेचन पर कोई समीक्षा की गई है। हमारा मानना है कि विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक बिन्दुओं को विवेचित कर सभी विवादित आराजीयात तथा तीनों दावों पर विवेचन पश्चात निर्णय दिया गया है तथा इस निर्णय के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर प्रथम अपील मीमों में भी सभी दावों व पूर्ण भूमि बाबत अपना पक्ष रखा गया था, इसलिए भी बिन्दुओं व आराजीयात को कवर न कर मात्र खसरा नम्बर 218 हेतु ही निर्णय दिया जाना अपूर्ण व अस्पष्ट निर्णय है जिसे विधिवत पुष्ठ तथा स्थापित रखने योग्य नहीं माना जा सकता है। अपील

मीमों में केसर के फौत होने तथा शेष दोनों अपीलार्थी ही उसके वारिस होने से उसे पक्षकार नहीं बनाने के स्पष्ट उल्लेख उपरांत भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–12–2005 में केसर को भी निर्णय व डिक्री में शामिल किया जाना त्रुटिपूर्ण है। तीनों दावों में विवादित आराजीयात पर दोनों पक्षों के पक्ष के अध्ययन तथा विचारण न्यायालय द्वारा इनमें सॅयुक्त विवाद्यक कायम कर एक ही निर्णय से तीनों दावों व अपीलार्थी के काउन्टर क्लेम को निस्तारित करने के परिपेक्ष में मनन उपरांत अपीलार्थी पक्ष की निर्णय दिनांक 24–6–2003 के विरूद्ध एक ही अपील दायर करने बाबत आपत्ति स्वीकारयोग्य नहीं है। अतः निष्कर्ष स्वरूप प्रकरण पुर्नपरीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

9– विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय सवाईमाधोपुर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–12–2005 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण मातहत अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि निर्णय के पैरा संख्या 8 अनुसार प्रकरण में दोनों पक्षों को साक्ष्य सुनवाई का अवसर देते हुये इसे पुनः विधिसम्मत निर्णय द्वारा निस्तारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार रहे। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर को प्रेषित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य

(किशोर कुमार)
सदस्य